सं0 सं0–टी–3/भू–अर्जन–77/2016–......63....../

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक:– अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/पटना, दिनांक–......10..../......01..../2018

विषय:– राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत सहरसा जिलान्तर्गत नवस्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरी बख्तियारपुर(सहरसा) के भवन निर्माण हेतु मौजा–भोरहा में कुल 2.99874 एकड़ भूमि बिहार रैयती भूमि लीज नीति–2014 के तहत सतत् लीज पर लिए जाने के निमित कुल राशि 3,11,86,896.00 (तीन करोड़ ग्यारह लाख छियासी हजार आठ सौ छियानवे) रू0 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत सहरसा जिलान्तर्गत नवस्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) के भवन निर्माण हेतु मौजा–भोरहा में कुल 2.99874 एकड़ भूमि बिहार रैयती भूमि लीज नीति–2014 के तहत सतत् लीज पर लिए जाने के निमित समाहर्त्ता, सहरसा के पत्रांक–273–2/भू–अर्ज0, दिनांक–14/12/2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन के आलोक में कुल राशि **3,11,86,896.00 (तीन करोड़ ग्यारह लाख छियासी हजार आठ सौ छियानवे)** रू0 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–050 भूमि, उप शीर्ष–0101–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू–अर्जन के लिए, विपत्र कोड–26–4250000500101 के विषय शीर्ष–0101.53.02 भू–अर्जन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4– इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सहरसा से की जायेगी तथा प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को उपलब्ध करायेंगे। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा सतत् लीज के अधीन देय राशि हितबद्ध रैयतों को Account Payee Cheque के माध्यम से लीज के निबंधन की तिथि को उपलब्ध करायेंगे।

5– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–टी–3/भू–अर्जन–77/2016 के पृ0 –....31..../टि0 पर प्राप्त है।

6– प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7– भू–अर्जन की प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष पूरा कर लिया जाय।

8– ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति श्रम संसाधन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

9/1/18

अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक— टी–3/भू–अर्जन–77/2016 –.......63........ /प ट ना, दिनांक–....10../..01../2018

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/1/18

अपर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक— टी–3/भू–अर्जन–77/2016 –.......63........ /प ट ना, दिनांक–....10../..01../2018

प्रतिलिपिः—आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सहरसा/जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/1/18

अपर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक— टी–3/भू–अर्जन–77/2016 –.......63........ /प ट ना, दिनांक–....10../..01../2018

प्रतिलिपिः— निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा)/मासिक व्यय विवरणी शाखा /बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/1/18

अपर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग